**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**अधिसूचना**

दिनांक............./2022

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0................................/भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** – (1) यह नियमावली "**बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022**" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक–15.07.2021 (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7095 दिनांक–15.07.2021 के निर्गमन की तिथि) से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के नियम–5 के उपनियम (1) का प्रतिस्थापन।** – उक्त नियमावली के नियम–5 के उपनियम–(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है –

*"निम्नवर्गीय लिपिक के 85% पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पद पर नियुक्ति की अहर्ता रखते हो से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।*

*ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों की, सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।*

*परन्तु सेवाकल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।"*

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(मो0 सोहैल)
सरकार के विशेष सचिव।

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0................../ पटना–15,दिनांक–............/2022

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/–
(मो0 सोहैल)
सरकार के विशेष सचिव।

संख्या–10/क्षे0स्था0–08–(लि0सं0नि0)–35/2017,सा0प्र0 19231/पटना–15,दिनांक–26.10./2022

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो0 सोहैल)
सरकार के विशेष सचिव।

e/drive/poonam/s.slr